CNR NO. UPDE 0100 2878 2026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, देवरिया।

पीठासीन अधिकारी–धनेन्द्र प्रताप सिंह, (उच्चतर न्यायिक सेवा)--UP2016

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1147/2026

धनन्जय पाल पुत्र स्व0 पारस नाथ पाल
निवासी ग्राम–कमधेनवा, थाना–रामपुर कारखाना, जिला–देवरिया। प्रार्थी/अभियुक्त,

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिपक्षी,

मुकदमा अपराध संख्या–265/2025
धारा–109(1), 352, 351(3) भा0 न्या0 सं0 व 3/25/27 आर्म्स एक्ट।
थाना–रामपुर कारखाना, जिला–देवरिया।

निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्र

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/अभियुक्त **धनन्जय पाल,** जो अपराध संख्या–265/2025, धारा–109(1), 352, 351(3) भा0 न्या0 सं0 3/25/27 आर्म्स एक्ट, थाना–रामपुर कारखाना, जनपद देवरिया के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है, के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत प्रार्थना–पत्र के साथ शपथकर्ता रवि पाल, द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है।

3. प्रथम सूचनाकर्ती शान्ती देवी द्वारा थाना रामपुर कारखाना जिला देवरिया में इस आशय की प्राथमिकी दर्ज करायी गई कि दिनांक 21.11.2025 को सुबह 03:00 बजे के करीब में सपरिवार घर में सोई थी तभी उसके ही गांव का धनन्जय पाल पुत्र स्व0 पारस पाल उसके दरवाजे पर एयरगन लेकर आया और पुरानी रंजिश को लेकर दो बार फायर किया। जब उसकी नींद खुली तो उसने विरोध किया तो भद्दी–भद्दी गाली व जान से मारने की धमकी देते हुए चला गया। अतः उचित कार्यवाही किये जाने की मांग की गई है।

4. प्रथम सूचनाकर्ती के उपरोक्त प्रार्थना–पत्र के आधार पर दिनांक 21.11.2025 को अभियुक्त धनन्जय पाल के विरूद्ध थाना–रामपुर कारखाना, जिला–देवरिया में मुकदमा अपराध संख्या–265/2025, अंतर्गत धारा–125, 352, 351(3) बी.एन.एस. के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा धारा–125 बी.एन.एस. को विलोपित किया गया एवं धारा–109(1) भा0 न्या0 सं0 व 3/25/27 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।

5. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्यतः ये तर्क प्रस्तुत किये गये हैं कि वह निर्दोष है एवं पुलिस ने उसे षड्यन्त्र करके झूठे मुकदमें में फंसाया है। सबूत पक्ष के अनुसार घटना दिनांक 21.11.2025 की सुबह 03:00 बजे की है जिसकी रपट दिनांक 21.11. 2025 को 17:45 बजे दर्ज करायी गई है। सत्यता यह है कि याची की भाभी वर्तमान ग्राम प्रधान

है और उसका बड़ा भाई कांग्रेस पार्टी का जिला उपाध्यक्ष है तथा सलेमपुर विधानसभा से विधायक प्रत्याशी भी पिछले चुनाव में उसकी भाभी थी। परिवार की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से वादिनी मुकदमा ने झूठा मुकदमा पुलिस से मिलकर दर्ज कराया है। पुलिस के द्वारा मुकदमा धारा–125, 352, 351(3) बी.एन.एस. में पंजीकृत किया गया था बाद में धारा–109(1) बी.एन.एस. की बढ़ोत्तरी साजिशन की है। याचिनी अपने टोले की पूर्व प्रधान प्रत्याशी रेशमा देवी की प्रचारक व सहयोगी है। ग्राम प्रधान का चुनाव जब रेशमा देवी हार गई थी तब भी वादिनी से एक झूठा मुकदमा खेत से मक्के की फसल काटने का मु0अ0सं0–322/2023 में धारा–354क, 336, 427, 506 आई०पी०सी० का पंजीकृत कराया था और उसमें भी पुलिस ने वादिनी से षड्यन्त्र कर के चार्जशीट धारा–354क, 336, 427, 506, 376 आई०पी०सी० में प्रेषित किया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादिनी ने झूठी कहानी गढ कर स्पष्ट कहा है कि मेरे दरवाजे पर एयरगन से दो फायर किया, एयरगन मनोरंजन व पंक्षियों के शिकार के लिए होती है उससे कोई चोटें नहीं आती हैं ना ही उसमें बारूद का प्रयोग होता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में एयर गन से फायर करने पर किसी भी चोट के आने का जिक्र नहीं है। वादिनी मुकदमा के घर के चारों तरफ अन्य लोगों की मकान है ऐसी दशा में दूसरे टोले का आदमी रात को 03.00 बजे वहाँ कैसे आ सकता है। वादिनी मुकदमा को हथियार का अच्छा ज्ञान है क्योंकि पिछले मुकदमें में भी वह याची के हाथ में पिस्तौल होने की बात अपने 164 सीआर०पी०सी० के बयान में कह चुकी है। दिनांक 06.06.2026 को पुलिस याची को थाने पर बुलाकर अपने पास से देशी कट्टा दिखाकर झूठे मुकदमें में चालान कर दी है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 06.06.2026 से जिला कारागार देवरिया में निरूद्ध है। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया है।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रथम सूचनाकर्ती के घर के दरवाजे पर आकर एयरगन से फायर किया गया एवं विरोध करने पर भद्दी–भद्दी गाली–गुप्ता व जान से मारने की धमकी दी गई। अपराध की गंभीरता एवं दण्ड की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए, जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

7. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर उनके विद्वान अधिवक्ता, वादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक् रूप से अवलोकन किया गया।

8. प्रस्तुत प्रकरण से संबंधित केस डायरी एवं संबंधित अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रथम सूचनाकर्ती के घर के दरवाजे पर आकर एयरगन से फायर करने एवं विरोध करने पर भद्दी–भद्दी गाली–गुप्ता व जान से मारने की धमकी दिये जाने का तथ्य प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपने

जमानत प्रार्थना–पत्र में अभियोजन के उपरोक्त कथनों से इंकार किया गया है। चोटिला शान्ति देवी के इंजरी रिपोर्ट में उसके शरीर पर एक चोटे आना अंकित है जिसके लिए एक्स–रे की सलाह दी गई है किन्तु एक्स–रे रिपोर्ट में एन0ए0डी0 है। इसी प्रकार चोटिल रामभजन के इंजरी रिपोर्ट में उसके शरीर पर चार चोटें आना अंकित है उक्त सभी चोटो के बाबत एक्स–रे की सलाह दी गई है किन्तु एक्स–रे में नो–बोनी इंजरी अंकित है। चिकित्सक द्वारा किसी भी चोट को प्राण घातक होने का अंकन नही किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 06.06.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

9. अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं मामले के गुण–दोष पर बिना विचार व्यक्त किये, उपरोक्त प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है। तद्नुसार प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **धनन्जय पाल** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र सशर्त स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त द्वारा **मु0–1,00,000/–रूपये (एक लाख रूपये) की दो प्रतिभू एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंध–पत्र** संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टि पर, प्रस्तुत करने के उपरान्त निम्न शर्तों के साथ, अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जायेः–

1. प्रार्थी/अभियुक्त इस केस में नियत प्रत्येक तिथि पर न्यायालय के समक्ष निर्धारित समय पर उपस्थित होगा।

2. प्रार्थी/अभियुक्त गवाहान को डरायेगा, धमकायेगा नहीं एवं विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

3. प्रार्थी/अभियुक्त स्वयं के निवास स्थान एवं उनके प्रतिभू के निवास स्थान में परिवर्तन में इसकी सूचना न्यायालय को उपलब्ध करायेगा।

4. प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय में परीक्षण के दौरान जब अभियोजन के साक्षी, साक्ष्य हेतु उपस्थित रहेंगे, तब किसी आधार पर स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।

5. प्रार्थी/अभियुक्त जमानत के दौरान अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा। यदि वह अपराध की पुनरावृत्ति करते हुए पकड़ा जाये तो वह जमानत निरस्त किये जाने का आधार होगा।

इस आदेश में दिये गये निष्कर्ष मामले के गुण–दोष को प्रभावित नहीं करेंगे।

sd/-

दिनांक–01.07.2026

(धनेन्द्र प्रताप सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
देवरिया।